भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 411*

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी

†*411.श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः
श्री जी. कुमार नायकः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम सहित जिला अस्पतालों के साथ चिकित्सा महाविद्यालयों को संबद्ध करने का प्रस्ताव दिया है और यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के उद्देश्यों और समय -सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय अवसंरचना में पीपीपी मॉडल के लिए निर्धारित नीतिगत ढांचे और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण सहित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में गुणवत्ता और वहनीयता के मानदंड क्या हैं;
(ग) देश में जिला अस्पतालों से संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए पीपीपी मॉडल के कार्यान्वयन और गैर-कार्यान्वयन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(घ) चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के समय से ही उन्हें जिला अस्पतालों से संबद्ध करने या उनके उन्नयन के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई कुल धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इन महाविद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या, पूरे हो चुके और निर्माणाधीन कार्यों आदि के ब्यौरे सहित इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ङ) आंध्र प्रदेश के उन चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां पीपीपी प्रस्ताव के लिए निविदा आमंत्रित, स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी गई हैं;
(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि चिकित्सा शिक्षा के पीपीपी आधारित विस्तार से छात्रों की पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या उन पर अत्यधिक शुल्क का बोझ न पड़े; और
(छ) देश में पीपीपी व्यवस्था के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण और शैक्षिक परिणामों का आकलन करने के लिए क्या निगरानी तंत्र विद्यमान है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20 मार्च, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *411 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है। इस योजना के तहत उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जहां पहले से कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण का अनुपात पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 है। इस योजना के तहत, प्रस्तावित सभी 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 137 कार्यशील हैं।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संचालित अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता योजना (व्यवहार्यता अंतराल निधीयन - वीजीएफ) के तहत, स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं, जिनमें पीपीपी मोड के तहत मौजूदा जिला अस्पतालों से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, वीजीएफ योजना की उप-योजना-1 और उप-योजना II (पायलट/प्रदर्शन परियोजनाएं) के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

इस ढांचे के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों की विधिवत जांच की जाती है और योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार और अनुमोदन हेतु उन्हें अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष रखा जाता है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, पीपीपी मोड के अंतर्गत जिला अस्पतालों से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों के विकास/उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं को व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) सहायता के लिए सैद्धांतिक/अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका विवरण, संबंधित निधियन सहित, अनुबंध में दिया गया है।

(च) और (छ): एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना प्रत्येक राज्य में संबंधित राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्यवार भिन्न-भिन्न होती है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा तैयार किए गए न्यूनतम मानक अपेक्षाओं (एमएसआर) में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बुनियादी ढांचे, संकाय, उपकरण और समग्र संस्थागत क्षमता की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए व्यापक मानदंड और मापदंड निर्धारित किए गए हैं। पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित देश भर के सभी चिकित्सा संस्थानों को इन निर्धारित मानदंडों और मानकों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

अनुबंध

देश भर में व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत राशि रुपये करोड़ में)

राज्य	स्थान/जिला	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार का पूंजीगत व्यय (करोड़ रुपये में)	भारत सरकार का परिचालन व्यय (करोड़ रुपये में)
अरुणाचल प्रदेश	नामसाई	356.6	142.6	65.6
उत्तर प्रदेश	महोबा	249.9	100.0	66.7
	मैनपुरी	230.8	92.3	67.1
	बागपत	215.0	86.0	66.6
	हमीरपुर	274.5	109.8	67.2
	हाथरस	270.7	108.3	67.0
	कासगंज	284.9	114.0	67.5
झारखंड	गिरिडीह	428	171.03	62.46
	जामताड़ा	352	140.7	60.98
	खूंटी	117	46.9	41.6
	धनबाद	352	105.6	-
